न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : स्वाति आर.टी.एस

मिसल नं.– 61 / 2023

र बनाम अशोक पुत्र लीलाधर, जाति माली निवासी ढाणी डालमियां तहसील सुरजगढ।

किस्म मुकदमा–अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः 04.09.2023

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में सक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल अशोक पुत्र ाधर, जाति माली निवासी ढाणी डालमियां तहसील सुरजगढ द्वारा रोही मौजा ढाणी डालमियां की कीय भूमि खसरा नम्बर 122 के कुल रकबा 2.80 है गै. मु. सडक में से 0.006 है0 पर पक्का निर्माण चार दीवारी करके अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गयी। हल्का पटवारी द्वारा तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज जेस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने जरिये अधिवक्ता हाजिर दालत होकर जवाब नोटिस पेश किया जिस अनुसार प्रार्थी द्वारा सडक पर कोई अतिक्रमण नही किया हुआ है। अतः गैर सायल द्वारा जवाब के साथ कोई सत्यापित साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किया गया जिससे प्रार्थी का जवाब संतोषजनक माना जा सके। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्व बेदखल करने के आदेश दिए जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 09 रूपए कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवायी जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतू लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति)
तहसीलदार, सूरजगढ़

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं....21.......पर वर्ष 23-24.....में रूपये..09/- कायम किए
राजस्व लेखाकार